कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

संख्या 07 /2020 दिनांक 01.06.2020

आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चमोली से विचार–विमर्श एवं अनुमति के उपरान्त आपराधिक न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) एवं धारा 410 आदि में वर्णित विधिक उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय गोपेश्वर में कार्यरत मजिस्ट्रेट न्यायालयों में जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था की जाती है :

1— **न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगाः—**

(1) पुलिस थाना—गोपेश्वर व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के समस्त पुलिस चालान एवं परिवाद पर संस्थित मामले।

(2) पुलिस थाना—चमोली व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के धारा 302 व 307 भारतीय दण्ड संहिता से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालान एवं परिवाद पर संस्थित मामले।

(3) पुलिस थाना—गोपेश्वर व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के वादों तथा अन्य विशेष अधिनियम के अन्तर्गत योजित परिवाद।

(4) ऐसे विशेष अधिनियमों/विधियों से सम्बन्धित परिवाद/प्रार्थना पत्र आदि, जिनकी सुनवाई का अन्यत्रतः क्षेत्राधिकार किसी अधिनियम/विधि द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रदत्त है।

2— **न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगाः—**

(1) पुलिस थाना—चमोली व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के (धारा 302 व 307 भारतीय दण्ड संहिता के समस्त मामलों को छोड़कर) समस्त पुलिस चालान एवं परिवाद पर संस्थित मामले।

(2) पुलिस थाना—चमोली, सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, के वादों तथा अन्य विशेष अधिनियम के अन्तर्गत योजित परिवाद (उन दाण्डिक वादों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का अनन्यतः क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्राप्त है)।

(3) समय—समय पर स्थानान्तरण से प्राप्त होंने वाले वाद।

(4) ऐसे विशेष अधिनियमों / विधियों से सम्बन्धित परिवाद / प्रार्थना पत्र आदि(जिनकी सुनवाई का अन्यत्रतः क्षेत्राधिकार किसी अधिनियम / विधि द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रदत्त है। को छोड़कर)

3— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली की अनुपस्थिति में रिमाण्ड, जमानत एवं आवश्यक सभी दाण्डिक कार्यों का निष्पादन लिंक मजिस्ट्रेट के रूप में सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर द्वारा सम्पादित किया जाएगा। सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर की अनुपस्थिति में रिमाण्ड, जमानतएवं आवश्यक सभी दाण्डिक कार्यों का निष्पादन लिंक मजिस्ट्रेट के रूप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

4— सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोशीमठ की अनुपस्थिति में रिमाण्ड, जमानत एवं आवश्यक सभी दाण्डिक कार्यों का निष्पादन लिंक मजिस्ट्रेट के रूप में सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

(राजीव धवन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

पत्रांक 68(3)/2020, गोपेश्वरः दिनांकः जून 01, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चमोली को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2— जिला मजिस्ट्रेट, चमोली।
3— पुलिस अधीक्षक, चमोली।
4— सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।
5— सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोशीमठ।
6— ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, चमोली।
7— अध्यक्ष, अधिवक्ता बार संघ, चमोली / जोशीमठ।
8— सिस्टम आफिसर, जिला जजी, चमोली।
9— गार्ड फाईल।

Dhawan
1/6/2020

(राजीव धवन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चमोली।